निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 48/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हनुमान चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट निवासी सहजपुरा तहसील व जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर श्री युगान्तर शर्मा आर ए एस जयपुर ।
2. सावित्री देवी जानू पत्नी हरिराम जानू
3. हेमन जानू पुत्र कर्नल हरिराम जानू
   समस्त जात जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर जरिये मुख्तयार आम एवं पिता हरिराम जानू पुत्र स्व॰ श्री चौधरी बजरंग राम जानू जाति जाट, निवासी प्लाट नम्बर डी–95, अम्बाबाडी, जयपुर ।
4. छीतर पुत्र शम्भू जाति जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी सावित्री देवी जानू व अन्य बनाम हनुमान चौधरी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर

निर्णय दिनांक 03.09.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी सावित्री देवी जानू व अन्य बनाम हनुमान चौधरी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण ने अपने पत्थरगढी प्रार्थना पत्र के अधीन सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत करना बताया है जिसके आधार पर सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 को तहसीलदार जयपुर के आदेश कमांक/एलआर/1592 दिनांक 09.07.2020 की पालना में पटवारी हल्का उभय पक्षों की उपस्थिति मे किया जाना अंकित किया है, किन्तु सही बात यह है कि इस समय कोरोना चल रहा है तथा मौके पर उक्त भूमि पर ग्वार की फसल खडी है तथा मौके पर ही प्रार्थी के बहनोई लालाराम जाट अपने खेत पर 24 घन्टे मौजूद रहते है। उनका यह कहना है कि अप्रेल से लेकर अभी तक मैने कभी पटवारी व गिरदावर को सीमाज्ञान हेतु मौके पर नहीं देखा और प्रार्थी का यह कहना है कि सीमाज्ञान हेतु न तो

मुझे कोई नोटिस दिया गया और नही मौखिक रूप से मुझे सीमाज्ञान की कोई इतला ही दी गई । जो उपरोक्त वर्णित तारीख को सीमाज्ञान होना अप्रार्थीगण बता रहे है वह पटवारी द्वारा कार्यालय में बैठ कर तैयार की गई रिपोर्ट है इसलिए उक्त रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है एवं सीमाज्ञान की संज्ञा में नहीं आती है तथा वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की फसल खडी है। इस कारण खडी फसल मे पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र बहस हेतु चल रहा है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आये दिन प्रार्थी को कोर्ट के बाहर कहते रहते है कि हम उक्त प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवायेंगे इसलिए अदालत द्वारा नजदीक नजदीक पेशियां लेते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में फैसला करने पर उतारू है। दिनांक 27.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 3 उपखण्ड अधिकारी प्रथम के चैम्बर में जाते हुये प्रार्थी ने देख लिया और अप्रार्थी संख्या 2 एस डी ओ साहब से मिल आया तो उसने प्रार्थी को यह बताया कि उक्त प्रकरण का फैसला मै मेरे हक में करवा कर रहूंगा। एस डी ओ साहब से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने उक्त प्रकरण का फैसला मेरे हक में करने के लिए कहा है और वे जल्दी ही उक्त प्रकरण का फैसला मेरे हक में कर देंगे। अप्रार्थी संख्या 3 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है जब अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नही है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी सावित्री देवी जानू बनाम हनुमान चौधरी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में सुनवाई हेतु दिनांक15.09.2020 को उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर